



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

620

मिति

सेवा में,

पत्रांक— 754 / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 06 सितम्बर, 2025.

अवृत्त

वन संरक्षक, (नाम से)

शिवालिक वृत्त,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

(नाम से)

विषय:— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलैर—काण्डोई—मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/126434/2021)

सन्दर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी/यू.सी.पी./06/126/2021/एफ.सी./1454 दिनांक 30.01.2023.

महोदय,

भारत सरकार, के संदर्भित पत्र दिनांक 30.01.2023 के द्वारा EDS का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। आपके पत्रांक 826/12-1 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से EDS का उत्तरालेख प्रेषित किया गया है। जिसके क्रम में अवगतनीय है, कि संदर्भित पत्र के बिंदु संख्या 1 के उत्तरालेख में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में CA हेतु चकराता के ग्राम—कुठाड़ में खसरा सं० 784 में 3.22 हे० क्षेत्र में चर नित किया गया था। दिनांक 20.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण उपरांत यह सिविल भूमि प्लानेशन हेतु अनुपयुक्त पाई गई एवं तदोपरांत प्रयोक्ता द्वारा पुनः ग्राम कुठाड़ में 3.22 हे० सिविल भूमि अन्यत्र खसरा सं० 2007 में चयनित की गई है।

इस संबंध में अवगत हो कि वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के प्राविधानों अनुसार यदि CA क्षेत्र चयनित सिविल भूमि अनुपयुक्त पाई जाती है तो नियमानुसार अनुपयुक्त भूमि के दो गुना अर्थात् 6.44 हे० CA भूमि का अवनत में चयन किया जाना होगा।

अतः तदनुसार कार्यवाही करते हुए, CA की Scheme, KML file, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, आदि Online Upload करते हुए, EDS का उत्तरालेख उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

०

संख्या :- 754 / 12-1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

(डॉ एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

०